

18-7-22

उन्मय पत्र उपर शर पत्र कलेंग
 दस्तावेजी के आधार पर शर पत्र
 स्वीकार योग्य होने पर ज्वीन
 किया जाता है निर्यात चक्र के
 लिखवाया नाम शामिल है
 पत्रावली निर्यात शुभारंभ
 नम्बर से कर का नाम शामिल
 दस्तावेज है।

27.09.2022

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के पत्रांक 408 दिनांक 19.09.2022 के संलग्न अपील संख्या 2022/255 (255/2022) में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 की प्रमाणित प्रति सहित इस न्यायालय का मूल अभिलेख राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2017 अनवान प्रविण कुमार बनाम कृष्ण कुमार प्राप्त हुआ है। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली की जाकर निर्णय का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2022 को रास्ते की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 7 को डी.एल.सी. दर की दुगनी दर से प्रतिकर किये जाने की हद तक निरस्त किया जाता है एवम् प्रविण कुमार की खातेदारी भूमि में से पत्थर नम्बर 220/249 मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 16 में 0.006 हैक्टर किला नम्बर 17 में 0.007 हैक्टर व किला नम्बर 18 में 0.007 हैक्टर भूमि अपीलान्त के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा किला नम्बर 16 में किला नम्बर 25 के सामने रास्ते के सामने की 12 फुट पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर दिशा की भूमि प्रविण कुमार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस न्यायालय को शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा गया है।

चुकि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 में इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा वर्तमान स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(संजना जोशी)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
 पदेन सहायक कलक्टर
 टिब्बी जिला हनुमानगढ़